क्रम-संख्या–351 (ख-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2017

अग्रहायण 24, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–3

संख्या 2747/77-3–17-37एम-12

लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

प0आ0–580

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1851) की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सार्वजनिक निजी भागीदारी/ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन/अन्य किसी प्रक्रिया के आधार पर निर्मित और राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक्सप्रेसवेज और समस्त सेतुओं, जिनके अन्तर्गत इण्टरचेन्जेज, उपरिगामी सेतु, रेलवे उपरि सेतु और अधो सेतु, एक्सप्रेसवेज के उपमार्ग लाइन भी हैं, का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्तियों, वाहनों के प्रभारियों या इस निमित्त रियायत करार/करार के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी से प्रभारित की जाने वाली फीस और उन पर अधिरोपित या उनसे वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010" में उपान्तरण करते हैं।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 1 से 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन), नियमावली, 2017

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 कही जाएगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	**1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) यह उपान्तरित नियमावली उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जाएगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2–परिभाषायें	**2–परिभाषायें**
(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–	(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय पथकर अधिनियम,1851 से है;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय पथकर अधिनियम,1851 से है;
(ख) "आधार वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल, 2009 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि से है ;	(ख) "प्राधिकृत एजेन्सी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार/राज्य सरकार द्वारा पथकर वसूली हेतु अधिसूचित निष्पादन प्राधिकारी के साथ करार किया हो।
(ग) 'उपमार्ग' का तात्पर्य किसी कस्बा या नगर से होकर जाने वाले एक्सप्रेस-वे के किसी खण्ड से है;	(ग) "पथकर करार" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश सरकार/ निष्पादन प्राधिकरण और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के मध्य पथकर वसूली हेतु हुये करार से है।
(घ) 'पुल' का तात्पर्य उस ढाँचे से है जिसकी कुल लम्बाई 6 मीटर से ऊपर हो और जो आन्तरिक दीवारों के मध्य से होते हुए धसकन या अवरोध यथा चैनल, सड़क, रेलवे के ऊपर से ट्रैफिक या अन्य गतिमान भार ले जाने के लिए होता है;	(घ) "आधार वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल, 2009 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि से है ;
(ङ) "कार" या "जीप" या "वैन" या "लाइट मोटर वाहन" का तात्पर्य किसी यांत्रिक वाहन से है, जिसका कुल भार सात हजार पांच सौ किलोग्राम या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट यात्रियों की ढुलाई की क्षमता चालक को सम्मिलित करते हुए बारह से अधिक न हो;	(ङ) 'उपमार्ग' का तात्पर्य किसी कस्बा या नगर से होकर जाने वाले एक्सप्रेस-वे के किसी खण्ड से है;
(च) "रियायत करार" का तात्पर्य ऐसे करार से है जो राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी और निर्माण, परिचालन/अवस्थापना का या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के मध्य किया गया हो;	(च) 'पुल' का तात्पर्य उस ढाँचे से है जिसकी कुल लम्बाई 6 मीटर से ऊपर हो और जो आन्तरिक दीवारों के मध्य से होते हुए धसकन या अवरोध यथा चैनल, सड़क, रेलवे के ऊपर से ट्रैफिक या अन्य गतिमान भार ले जाने के लिए होता है;
(छ) "रियायतग्राही" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के साथ करार किया गया है;	(छ) "कार" या "जीप" या "वैन" या "लाइट मोटर वाहन" का तात्पर्य किसी यांत्रिक वाहन से है, जिसका कुल भार सात हजार पांच सौ किलोग्राम या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट यात्रियों की ढुलाई की क्षमता चालक को सम्मिलित करते हुए बारह से अधिक न हो;
(ज) "निष्पादन प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी या प्राधिकारी से है;	(ज) "रियायत करार" का तात्पर्य ऐसे करार से है जो राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी और निर्माण, परिचालन/अवस्थापना का या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के मध्य किया गया हो;
(झ) "एक्सप्रेस-वे" का तात्पर्य तीव्र गति से यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुँच सहित विभाजित वाहन मार्ग से है, जिसको रियायत करार के अधीन निर्मित संचालित या अनुरक्षित किया गया है;	(झ) "रियायतग्राही" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के साथ करार किया गया है;

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(ञ) "उत्थापित राजमार्ग" का तात्पर्य एक्सप्रेस–वे के ऐसा खण्ड से है, जिसे पाथों या स्तम्भों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है;	(ञ) "निष्पादन प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन के लिये प्राधिकृत किया गया हो;
(ट) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले, 12 कलेण्डर माह की अवधि से है;	(ट) "एक्सप्रेस-वे" का तात्पर्य तीव्र गति से यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुँच सहित विभाजित वाहन मार्ग से है, जिसको रियायत करार के अधीन निर्मित, संचालित या अनुरक्षित किया गया है;
(ठ) "सकल यान भार" का तात्पर्य किसी यान के सम्बन्ध में यान के कुल भार और मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन उस यान के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार से है;	(ठ) "उत्थापित राजमार्ग" का तात्पर्य एक्सप्रेस–वे के ऐसा खण्ड से है, जिसे पाथों या स्तम्भों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है;
(ड) "भारी निर्माण मशीनरी" या "भू–गतिमान उपस्कर" या "बहुधुरीय यान या भरी ट्रक" का तात्पर्य भारी निर्माण मशीनरी या भू–गतिमान उपस्कर या यांत्रिक यान या तीन से छह धुरी वाले बहुधुरीय यान सहित बीस हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु साठ हजार किलोग्राम से कम यान भार वाले से है;	(ड) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले, 12 कलेण्डर माह की अवधि से है,
(ढ) "इण्टरचेंज" का तात्पर्य परिवहन के साथ जोड़ने वाला ग्रेड सेपरेटेड इण्टरसेक्शन से है;	(ढ) "सकल यान भार" का तात्पर्य किसी यान के सम्बन्ध में यान के कुल भार और मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन उस यान के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार से है;
(ण) "क्षेत्र" का तात्पर्य मुख्य वाहन मार्ग का भाग बनने वाली और तीन मीटर पचास सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली लेन से है;	(ण) "भारी निर्माण मशीनरी" या "भू–गतिमान उपस्कर" या "बहुधुरीय यान या भरी ट्रक" का तात्पर्य भारी निर्माण मशीनरी या भू–गतिमान उपस्कर या यांत्रिकीद यान या तीन से छह धुरी वाले बहुधुरीय यान सहित बीस हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु साठ हजार किलोग्राम से कम यान भार वाले से है;
(त) "हल्का वाणिज्यिक यान" या "हल्का माल यान" या "मिनीबस" का तात्पर्य सात हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक किन्तु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम, 1988 के जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बत्तीस से कम यात्री वाहन क्षमता वाले किसी यांत्रिक यान से है;	(त) "इण्टरचेंज" का तात्पर्य परिवहन के साथ जोड़ने वाला ग्रेड सेपरेटेड इण्टरसेक्शन से है;
(थ) "यांत्रिक यान" का तात्पर्य अपनी शक्ति के अधीन चलने वाले किसी यान से है, जिसके अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यथा परिभाषित मोटर यान भी है;	(थ) "लेन" का तात्पर्य मुख्य वाहन मार्ग का भाग बनने वाली और न्यूनतम तीन मीटर पचास सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली लेन से है;
(द) "विशाल आकार यान" का तात्पर्य सात	(द) "हल्का वाणिज्यिक यान" या "हल्का माल

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
या अधिक धुरियों वाले यान या ऐसे यान से है, जिसका सकल यान भार साठ हजार किलोग्राम से अधिक है;	यान'' या ''मिनीबस'' का तात्पर्य सात हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक किन्तु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम, 1988 के जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बत्तीस से कम यात्री वाहन क्षमता वाले किसी यांत्रिक यान से है;
(ध) ''सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना'' का तात्पर्य ऐसे परियोजना से है जो एक्सप्रेस-वे के किसी सेक्शन, जिसके अन्तर्गत समस्त स्थाई पुल, इन्टरचेंज, उपरिसेतु, आर.ओ.बी./आर.यू.बी. उपमार्ग, उसकी सुरंग भी है, से सम्बन्धित हो और जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई करार किया गया हो;	(ध) ''यांत्रिक यान'' का तात्पर्य अपनी शक्ति के अधीन चलने वाले किसी यान से है, जिसके अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यथा परिभाषित मोटर यान भी है;
(न) ''रेलवे ओवर/अण्डर ब्रिज (आर.ओ.बी./आर.यू.बी)'' का तात्पर्य रोड ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज से है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर/नीचे से गुजरता हो और जिसे रियायती करार के अधीन निर्मित/संचालित या अनुरक्षित किया गया हो;	(न) ''विशाल आकार यान'' का तात्पर्य सात या अधिक धुरियों वाले यान या ऐसे यान से है, जिसका सकल यान भार साठ हजार किलोग्राम से अधिक है;
(प) ''सर्विस सड़क'' का तात्पर्य एक्सप्रेस सेक्शन के समानान्तर चलने वाली सड़क से है जो एक्सप्रेस-वे के उक्त सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुँच प्रदान करती है;	(प) ''सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना'' का तात्पर्य ऐसे परियोजना से है जो एक्सप्रेस-वे के किसी सेक्शन, जिसके अन्तर्गत समस्त स्थाई पुल, इन्टरचेंज, उपरिसेतु, आर.ओ.बी./आर.यू.बी. उपमार्ग, उसकी सुरंग भी है, से सम्बन्धित हो और जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई करार किया गया हो;
(फ) ''पथकर या फीस'' का तात्पर्य यथास्थिति प्रति किलोमीटर/मीटर उद्गृहीत पथकर शुल्क से है, जो राजमार्ग परियोजना, स्थाई पुलों, इण्टरचेंजेज, उपरिगामी सेतु आर.ओ.बी./आर.यू.बी. या सड़क ऊपरि सेतु/ अधोसेतु, उपमार्ग या सुरंग के प्रयोक्ता द्वारा इन नियमों के अधीन देय है;	(फ) ''इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन'' का तात्पर्य ऐसी एक्सप्रेस-वे परियोजना से है जिसमें समस्त स्थायी पुल, इन्टरचेंजेस, उपरिसेतु, आर.ओ.बी./आर.यू.बी. उपमार्ग, उसकी सुरंग भी है, से सम्बन्धित हो और जिसके लिए ठेकेदार के साथ कोई करार किया गया हो;
(ब) ''टोल प्लाजा'' का तात्पर्य किसी भवन, ढाँचा या बूथ से है, जो फीस के संग्रहण के लिए बनाया गया है;	(ब) ''रेलवे ओवर/अण्डर ब्रिज (आर.ओ.बी./आर.यू.बी)'' का तात्पर्य रोड ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज से है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर/नीचे से गुजरता हो और जिसे रियायती करार के अधीन निर्मित/संचालित या अनुरक्षित किया गया हो;
(भ) ''ट्रक या बस'' का तात्पर्य बारह हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु बीस हजार किलोग्राम से कम या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाले किसी यांत्रिक यान से है;	(भ) ''सर्विस सड़क'' का तात्पर्य एक्सप्रेस सेक्शन के समानान्तर चलने वाली सड़क से है जो एक्सप्रेस-वे के उक्त सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुँच प्रदान करती है;
(म) ''थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू.पी.आई.)'' का तात्पर्य भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय या उसके एवज में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किसी थोक मूल्य सूचकांक से है।	(म) ''पथकर या फीस'' का तात्पर्य यथास्थिति प्रति किलोमीटर/मीटर उद्गृहीत पथकर शुल्क से है, जो राजमार्ग परियोजना, स्थाई पुलों, इण्टरचेंजेज, उपरिगामी सेतु आर.ओ.बी./आर.यू.बी. या सड़क ऊपरि सेतु/ अधोसेतु, उपमार्ग या सुरंग के प्रयोक्ता द्वारा इन नियमों के अधीन देय है;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(य) "टोल प्लाजा" का तात्पर्य किसी भवन, ढाँचा या बूथ से है, जो फीस के संग्रहण के लिए बनाया गया है,
	(र) "ट्रक या बस" का तात्पर्य बारह हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु बीस हजार किलोग्राम से कम या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाले किसी यांत्रिक यान से है,
	(ल) "थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू.पी.आई.)" का तात्पर्य भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय या उसके एवज में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किसी थोक मूल्य सूचकांक से है।
3–फीस का उद्ग्रहण	**3–फीस का उद्ग्रहण**
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार एक्सप्रेस-वे के किसी भाग के प्रयोक्ता को आपात स्थिति में निकालने तथा सामान्य प्रयोक्ता से यथास्थिति किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु, रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, के लिए फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी।	(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार एक्सप्रेस-वे के किसी भाग के प्रयोक्ता को आपात स्थिति में निकालने तथा सामान्य प्रयोक्ता से यथास्थिति किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु, रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, के लिए फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी।
(2) निजी निवेश परियोजना की दशा में उपनियम (1) के अधीन उद्गृहीत फीस का संग्रहण रियायती अवधि के दौरान तक रियायतग्राही द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार किया जायेगा और एक्सप्रेस-वे पूरा होने के दिनांक से प्रारम्भ होगा। यथास्थिति पैदल चलने वाले या गैर मोटराइज्ड वाहन या अपंजीकृत वाहन एक्सप्रेस-वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी:	(2) निजी/सार्वजनिक निवेश परियोजना की दशा में उपनियम (1) के अधीन उद्गृहीत फीस का संग्रहण रियायती अवधि/अवधि के दौरान तक रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार किया जायेगा और एक्सप्रेस–वे पूरा होने के दिनांक/अथवा किसी निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होगा। यथास्थिति पैदल चलने वाले या गैर मोटराइज्ड वाहन या अपंजीकृत वाहन एक्सप्रेस–वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी:
किन्तु आपात स्थिति में, जैसे चलते हुए वाहन में खराबी आने पर, प्रयोक्ता को एक्सप्रेस–वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की अनुमति दी जायेगी ।	किन्तु आपात स्थिति में, जैसे चलते हुए वाहन में खराबी आने पर, प्रयोक्ता को एक्सप्रेस–वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की अनुमति दी जायेगी।
(3) सर्विस मार्ग पर चलने वाले वाहन यदि एक्सप्रेस-वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/ रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी	(3) सर्विस मार्ग पर चलने वाले वाहन यदि एक्सप्रेस-वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

स्थिति हो, का प्रयोग करते हैं तो इन से कोई फीस वसूल नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ सर्विस मार्ग हो या न हो दो पहिया, तीन पहिया वाहन या विधिक रूप से पंजीकृत ट्रैक्टरों के स्वामी यदि एक्सप्रेस-वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग करते हैं तो इन लाईट मोटर वाहन स्वामियों/चालकों से कार के लिए निर्धारित दर से आधी दर पर फीस वसूल किया जायेगा ।

(4) इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस निकटतम् पांच रुपये के गुणांकों में पूर्णांकित और उद्गृहीत की जायेगी।

4–फीस की आधार दर

(1) आधार वर्ष 2009–10 में छः/आठ लेन एक्सप्रेस-वे के किसी भाग के उपयोग की फीस दर उस भांग की लम्बाई में निम्नलिखित दर से गुणा करने के अनुसार होगी, यथा :–

वाहन का प्रकार	वर्ष 2009–10 के लिए फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रुपये में) 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI 229.20) पर आधारित
कार, जीप, वैन या हल्की मोटर वाहन	0.80
हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.30
बस या ट्रक	2.75
भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (तीन से छः धुरीय)	4.30
विशाल आकार यान (ओवर साइज्ड वेहिकिल) (सात या अधिक धुरीय)	5.25

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

करते हैं तो इन से कोई फीस वसूल नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ सर्विस मार्ग हो या न हो दो पहिया, तीन पहिया वाहन या विधिक रूप से पंजीकृत ट्रैक्टरों के स्वामी यदि एक्सप्रेस-वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग करते हैं तो इन लाईट मोटर वाहन स्वामियों/चालकों से कार के लिए निर्धारित दर से आधी दर पर फीस वसूल किया जायेगा ।

(4) इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस निकटतम् पांच रुपये के गुणांकों में पूर्णांकित और उद्गृहीत की जायेगी।

4–फीस की आधार दर

(1) आधार वर्ष 2009–10 में छः/आठ लेन एक्सप्रेस-वे के किसी भाग के उपयोग की फीस दर उस भांग की लम्बाई में निम्नलिखित दर से गुणा करने के अनुसार होगी, यथा :–

वाहन का प्रकार	वर्ष 2009–10 के लिए फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रुपये में) 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI 229.20) पर आधारित
कार, जीप, वैन या हल्की मोटर वाहन	0.80
हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.30
बस या ट्रक	2.75
भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (तीन से छः धुरीय)	4.30
विशाल आकार यान (ओवर साइज्ड वेहिकिल) (सात या अधिक धुरीय)	5.25

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

(2) निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढाँचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो आधार वर्ष 2009–10 के लिए फीस की दर निम्नवत् होगी :–

फीस का आधार दर (प्रति कि0मी0 प्रति फेरा रुपये में)					
स्थाई सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटराइज्ड वाहन	हल्के, वाणिज्यिक यान हल्के यान वाहक यान या मिनी बस	ट्रक या बस	एच. सी. एम.ई. एम.ई. या एम.ए. वी.	विशाल आकार यान
10–15	5.00	7.50	15.00	22.00	30.00
रु. पन्द्रह करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भार पर रु. सौ करोड़ तक	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00
रु. सौ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भार पर रु. दो सौ करोड़ तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
रु. दो सौ करोड़ से ऊपर प्रत्येक पांच करोड या उसके भाग पर	0.50	0.75	1.50	2.25	3.00

परन्तु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से एक्सप्रेस-वे के किसी भाग के प्रयोग हेतु फीस की संगणना करते समय यदि उस भाग पर स्थित स्थाई सेतु, इण्टरचेजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग की लागत रु.50.00 करोड़ या अधिक है, तो ऐसे स्थाई सेतु, इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/ रेल अधोसेतु बाईपास या सुरंग की लम्बाई को एक्सप्रेस-वे के उस भाग की लम्बाई से घटाते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार फीस की संगणना की जायेगी:

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढाँचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो आधार वर्ष 2009–10 के लिए फीस की दर निम्नवत् होगी :–

फीस का आधार दर (प्रति कि0मी0 प्रति फेरा रुपये में)					
स्थाई सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटराइज्ड वाहन	हल्के, वाणिज्यिक यान हल्के यान वाहक यान या मिनीबस	ट्रक या बस	एच. सी. एम.ई. एम.ई. या एम.ए. वी.	विशाल आकार यान
10–15	5.00	7.50	15.00	22.00	30.00
रु. पन्द्रह करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भार पर रु. सौ करोड़ तक	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00
रु. सौ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भार पर रु. दो सौ करोड़ तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
रु. दो सौ करोड़ से ऊपर प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर	0.50	0.75	1.50	2.25	3.00

परन्तु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से एक्सप्रेस-वे के किसी भाग के प्रयोग हेतु फीस की संगणना करते समय यदि उस भाग पर स्थित स्थाई सेतु, इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग की लागत रु.50.00 करोड़ या अधिक है, तो ऐसे स्थाई सेतु, इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/ रेल अधोसेतु बाईपास या सुरंग की लम्बाई को एक्सप्रेस-वे के उस भाग की लम्बाई से घटाते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार फीस की संगणना की जायेगी:

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह और भी कि जहाँ स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग जैसी भी स्थिति हो, की लागत रु.50.00 करोड़ से कम हो और यह स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर,रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग एक्सप्रेस-वे का भाग हो तो उपर्युक्त फीस के बजाय नियम–4 के उपनियम (1) के अनुसार ही ऐसे स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु बाईपास अथवा सुरंग हेतु फीस निर्धारित होगी।	परन्तु यह और भी कि जहाँ स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग जैसी भी स्थिति हो, की लागत रु.50.00 करोड से कम हो और यह स्थाई सेतु, इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर,रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग एक्सप्रेस-वे का भाग हो तो उपर्युक्त फीस के बजाय नियम–4 के उपनियम (1) के अनुसार ही ऐसे स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग हेतु फीस निर्धारित होगी।
स्पष्टीकरण इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए– निजी निवेश परियोजनाओं में पूर्ण लागत रियायतग्राही (कन्सेशनायर) के सांविधिक सम्प्रेक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी।	**स्पष्टीकरण** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए– निजी निवेश परियोजना की पूर्ण लागत, निजी सार्वजनिक सहभागिता पर निर्मित परियोजनाओं के लिये रियायतग्राही के सांविधिक सम्प्रेक्षक द्वारा तथा "इंजिनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन"/किसी अन्य पद्धति की परियोजनाओं के लिये निष्पादन प्राधिकारी/या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
5–फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण (1) अधिसूचना नियम–4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल, 2010 से प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जायेंगी।	**5–फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण** (1) अधिसूचना नियम–4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल, 2010 से प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जायेंगी।
(2) प्रवृत्त दरें प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से इस प्रकार पुनरीक्षित की जायें कि जिनका आधार 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह से पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद समाप्त हुए सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक (229.20) पर आधारित हो, किन्तु यह पुनरीक्षण/बढ़ोत्तरी मूल्य सूचकांक के अधिकतम् 40% (चालीस प्रतिशत) बढ़ोत्तरी तक सीमित रहेगी (5 पैसे के पूर्णांक के निकट होगी)।	(2) प्रवृत्त दरें प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से इस प्रकार पुनरीक्षित की जायें कि जिनका आधार 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह से पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद समाप्त हुए सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक (229.20) पर आधारित हो, किन्तु यह पुनरीक्षण/बढ़ोत्तरी मूल्य सूचकांक के अधिकतम् 40% (चालीस प्रतिशत) बढ़ोत्तरी तक सीमित रहेगी (5 पैसे के पूर्णांक के निकट होगी)।
(3) प्रवृत्त दरों के निर्धारण का सूत्र निम्नवत् होगा :– प्रवृत्त फीस दर = आधारदर + आधारदर x {थोक मूल्य सूचकांक 'क'–थोक मूल्य सूचकांक 'ख' x 0.4} / थोक मूल्य सूचकांक 'ख'	(3) प्रवृत्त दरों के निर्धारण का सूत्र निम्नवत् होगा :– प्रवृत्त फीस दर = आधारदर+आधारदर x {थोक मूल्य सूचकांक 'क'–थोक मूल्य सूचकांक 'ख' x 0.4} / थोक मूल्य सूचकांक 'ख'
स्पष्टीकरण (क) प्रवृत्त शुल्क दर नियम–4 के उपनियम (1) के अन्तर्गत संशोधित दरों के अनुसार प्रयोक्ता द्वारा देय होगी।	**स्पष्टीकरण** (क) प्रवृत्त शुल्क दर नियम–4 के उपनियम (1) के अधीन सशोधित दरों के अनुसार प्रयोक्ता द्वारा देय होगी।
(ख) वर्ष 2009–10 हेतु एक्सप्रेस–वे के लिए बेस दर विनिर्दिष्ट ढाँचों स्थायी सेतु, फ्लाई ओवर, इन्टरचेन्ज, बाई–पास या सुरंग को असम्मिलित करते हुए मान्य होगी।	(ख) वर्ष 2009–10 हेतु एक्सप्रेस–वे के लिए बेस दर विनिर्दिष्ट ढाँचों स्थायी सेतु, फ्लाई ओवर, इन्टरचेन्ज, बाई–पास या सुरंग को असम्मिलित करते हुए मान्य होगी।

स्तम्भ–1
वर्तमान नियम

वाहन का प्रकार	वर्ष 2009–10 के लिए फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रूपये में) 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI 229.20) पर आधारित
कार, जीप, वैन या हल्की मोटर वाहन	0.80
हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.30
बस या ट्रक	2.75
भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (तीन से छः धुरीय)	4.30
विशाल आकार यान (ओवर साइज्ड वेहिकिल) (सात या अधिक धुरीय)	5.25

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

वाहन का प्रकार	वर्ष 2009–10 के लिए फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रूपये में) 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI 229.20) पर आधारित
कार, जीप, वैन या हल्की मोटर वाहन	0.80
हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.30
बस या ट्रक	2.75
भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (तीन से छः धुरीय)	4.30
विशल आकार यान (ओवर साइज्ड वेहिकिल) (सात या अधिक धुरीय)	5.25

(ग) स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, उपमार्ग या सुरंग सहित संरचना की दशा में, जहां संविधिक संपरीक्षकों द्वारा सत्यापन के पश्चात् पूर्ण लागत 50 करोड़ रूपया या अधिक पाई जाती है, वहां पथकर उपनियम 4(2) को उपनियम 4(1) के साथ मिलाकर पुनरीक्षण किया जाये ।

(घ) "थोक मूल्य सूचकांक–क" का तात्पर्य उस थोक मूल्य सूचकांक से है जो फीस दर पुनरीक्षित करने वाले वर्ष की 1 जनवरी या उसके तुरन्त बाद समाप्त होने वाले सप्ताह का हो और

(च) "थोक मूल्य सूचकांक–ख" का तात्पर्य उस थोक मूल्य सूचकांक से है जो 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह को था अर्थात 229.20

उदाहरण –

किसी एक्सप्रेस-वे का 2010–11 और 2011–12 के लिए फीस का पुनरीक्षण किया जाना हो तो मान लिया कि 2 जनवरी, 2010 को समाप्त हुए थोक मूल्य सूचकांक 240 और 1 जनवरी, 2011 को समाप्त हुए थोक मूल्य सूचकांक 260 था तो कार, जीप, या वैन की प्रति किलोमीटर फीस निम्न प्रकार होगी :–

(ग) स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, उपमार्ग या सुरंग सहित संरचना की दशा में, जहां सांविधिक संपरीक्षकों/ निष्पादन प्राधिकारी/ या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापन के पश्चात् पूर्ण लागत 50 करोड़ रूपया या अधिक पाई जाती है, वहां पथकर नियम 4 के उपनियम (2) को उपनियम 5(3)(ख) अथवा उपनियम 4(1) के साथ मिलाकर पुनरीक्षण किया जाये ।

(घ) "थोक मूल्य सूचकांक–क" का तात्पर्य उस थोक मूल्य सूचकांक से है जो फीस दर पुनरीक्षित करने वाले वर्ष की 1 जनवरी या उसके तुरन्त बाद समाप्त होने वाले सप्ताह का हो और

(च) "थोक मूल्य सूचकांक–ख" का तात्पर्य उस थोक मूल्य सूचकांक से है जो 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह को था अर्थात 229.20

उदाहरण –

किसी एक्सप्रेस-वे का 2010–11 और 2011–12 के लिए फीस का पुनरीक्षण किया जाना हो तो मान लिया कि 2 जनवरी, 2010 को समाप्त हुए थोक मूल्य सूचकांक 240 और 1 जनवरी, 2011 को समाप्त हुए थोक मूल्य सूचकांक 260 था तो कार, जीप, या वैन की प्रति किलोमीटर फीस निम्न प्रकार होगी :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) वर्ष 2010–2011 के लिए–0.80+0.80 $\frac{(240-229.20)}{229.20}$ X 0.4 = 0.815 अर्थात् रू0 0.80 होगी	(एक) वर्ष 2010–2011 के लिए–0.80+0.80 $\frac{(240-229.20)}{229.20}$ X 0.4 = 0.815 अर्थात् रू0 0.80 होगी
(दो) वर्ष 2011–2012 के लिए–0.80+0.80 $\frac{(260-229.20)}{29.20}$ X 0.4 = 0.843 अर्थात् रू0 0.85 होगी	(दो) वर्ष 2011–2012 के लिए–0.80+0.80 $\frac{(260-229.20)}{29.20}$ X 0.4 = 0.843 अर्थात् रू0 0.85 होगी
(4) फीस दरों का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू होगा।	(4) फीस दरों का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू होगा।
6–फीस का संग्रहण	**6–फीस का संग्रहण**
(1) इन नियमों के अन्तर्गत उद्गृहीत फीस की वसूली रियायतग्राही (कन्सेशनायर) द्वारा पथकर प्लाजा पर की जायेगी ।	(1) इन नियमों के अन्तर्गत उद्गृहीत फीस की वसूली रियायतग्राही/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा पथकर प्लाजा पर की जायेगी ।
(2) एक्सप्रेस-वे के किसी भाग या भाग पर बने स्थाई सेतु इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का उपयोग करने वाले वाहन के चालक, वाहन स्वामी या प्रभारी को पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।	(2) एक्सप्रेस-वे के किसी भाग या भाग पर बने स्थाई सेतु इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का उपयोग करने वाले वाहन के चालक, वाहन स्वामी या प्रभारी को पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।
(3) फीस का भुगतान नगद के रूप में, या स्मार्ट कार्ड द्वारा या ट्रान्स्पान्डर द्वारा या अन्य किसी उचित रूप से किया जायेगा :	(3) फीस का भुगतान नगद के रूप मे, या स्मार्ट कार्ड द्वारा या ट्रान्स्पान्डर द्वारा या अन्य किसी उचित रूप से किया जायेगा :
परन्तु यह कि स्मार्ट कार्ड या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्स्पान्डर) के माध्यम से फीस का भुगतान करने वालों को रियायतग्राही द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार का भुगतान भी करना होगा ।	परन्तु यह कि स्मार्ट कार्ड या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्स्पान्डर) के माध्यम से फीस का भुगतान करने वालों को रियायतग्राही/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार का भुगतान भी करना होगा ।
(4) मोटर वाहनों के ऐसे चालक या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जो ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्स्पान्डर)/ओ.बी.यू. के माध्यम से फीस का भुगतान करने के इच्छुक हों, उपस्कर की लागत के सापेक्ष रियायतग्राही के पास वापसी योग्य जमानत धनराशि जमा करनी होगी ताकि उपस्कर लगाया जा सके। इस जमानती जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।	(4) मोटर वाहनों के ऐसे चालक या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जो ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्स्पान्डर)/ओ.बी.यू. के माध्यम से फीस का भुगतान करने के इच्छुक हों, उपस्कर की लागत के सापेक्ष रियायतग्राही/प्राधिकृत एजेन्सी के पास वापसी योग्य जमानत धनराशि जमा करनी होगी ताकि उपस्कर लगाया जा सके। इस जमानती जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(5) नियम–6 के उपनियम (2) के अधीन फीस प्राप्तकर्ता व्यक्ति, वाहन चालक, वाहन स्वामी और वाहन प्रभारी को ऐसी फीस रसीद जारी करेगा, जिसमें वसूली गई फीस की तिथि तथा समय कुल प्राप्ति धनराशि और वाहन का प्रकार, जिसके लिए फीस वसूल की गयी हो, विनिर्दिष्ट हो :	(5) नियम–6 के उपनियम (2) के अधीन फीस प्राप्तकर्ता व्यक्ति, वाहन चालक, वाहन स्वामी और वाहन प्रभारी को ऐसी फीस रसीद जारी करेगा, जिसमें वसूली गई फीस की तिथि तथा समय कुल प्राप्ति धनराशि और वाहन का प्रकार, जिसके लिए फीस वसूल की गयी हो, विनिर्दिष्ट हो :
परन्तु जहाँ फीस का भुगतान स्मार्ट कार्ड या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्सपाण्डर) या किसी अन्य उपयुक्त उपाय से किया गया हो, वहां रसीद मांग पर ही जारी की जायेगी। यदि किसी वाहन चालक, स्वामी अथवा यांत्रिक वाहन के प्रभारी के पास ओ0बी0यू0 अथवा स्मार्ट कार्ड नहीं है, किन्तु वह स्मार्ट कार्ड/ओ0बी0यू0 के लिए आशयित आरक्षित	परन्तु जहाँ फीस का भुगतान स्मार्ट कार्ड या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्सपाण्डर) या किसी अन्य उपयुक्त उपाय से किया गया हो, वहां रसीद मांग पर ही जारी की जायेगी। यदि किसी वाहन चालक, स्वामी अथवा यांत्रिक वाहन के प्रभारी के पास ओ0बी0यू0 अथवा स्मार्ट कार्ड नहीं है, किन्तु वह स्मार्ट कार्ड/ओ0बी0यू0 के लिए आशयित आरक्षित मार्ग का प्रयोग करना चाहता है उसे

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मार्ग का प्रयोग करना चाहता है उसे लागू फीस के अतिरिक्त रियायतग्राहता को लागू फीस के पाँच गुना अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा।	लागू फीस के अतिरिक्त रियायतग्राही/ प्राधिकृत एजेन्सी को लागू फीस के पाँच गुना अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा।
7–फीस का प्रेषण एवं विनियोजन	7–फीस का प्रेषण एवं विनियोजन
निजी निवेश परियोजना के मामले में इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूली गई फीस का विनियोजन ऐसे रियायतग्राही द्वारा किये गये करार के अधीन उसके समझौते के उपबन्धों के अनुसार तथा उसके निष्पादन हेतु किया जायेगा।	निजी /सार्वजनिक निवेश की परियोजनाओं के मामले में इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूली गई फीस का विनियोजन ऐसे रियायतग्राही/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा किये गये करार के अधीन उसके समझौते के उपबन्धों के अनुसार तथा उसके निष्पादन हेतु किया जायेगा।
8–प्लाजा का स्थान	**8–प्लाजा का स्थान**
(1) सामान्यतः यथास्थिति रियायतग्राही या निष्पादन प्राधिकारी, पथकर प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर बाहर ही स्थापित करेगा किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में जहाँ यथास्थिति एक्सप्रेस-वे का कोई भाग, स्थाई सेतु इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग नगर पालिका, या नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर या ऐसी सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित हो तो मुख्यतः उस नगर पालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए पथकर प्लाजा की स्थापना नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमा में या ऐसी सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर की जा सकती है।	(1) सामान्यतः यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी/ रियायतग्राही पथकर प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर बाहर ही स्थापित करेगा किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में जहाँ यथास्थिति एक्सप्रेस-वे का कोई भाग, स्थाई सेतु इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग नगर पालिका, या नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर या ऐसी सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित हो तो मुख्यतः उस नगर पालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए पथकर प्लाजा की स्थापना नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमा में या ऐसी सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर की जा सकती है।
(2) सामान्यतः एक्सप्रेस-वे के उसी भाग में और उसी दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में जहाँ निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझता है वहां कारण लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने पर 60 किलोमीटर के भीतर अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकता है या रियायतग्राही को स्थापित करने की अनुमति दे सकता है:	(2) सामान्यतः एक्सप्रेस-वे के उसी भाग में और उसी दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में जहाँ निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझता है वहां कारण लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने पर 60 किलोमीटर के भीतर अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकता है या रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी को स्थापित करने की अनुमति दे सकता है:
परन्तु अन्य पथकर प्लाजा से 60 किलोमीटर के भीतर पथकर प्लाजा/प्लाजा स्थापित किया जा सकता है/ किये जा सकते हैं यदि ऐसा पथकर प्लाजा किसी स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग या एक्सप्रेस-वे के लिए फीस संग्रह करने के लिए पथकर का अपवंचन रोकने के निमित्त हो।	परन्तु अन्य पथकर प्लाजा से 60 किलोमीटर के भीतर पथकर प्लाजा/प्लाजा स्थापित किया जा सकता है/किये जा सकते हैं यदि ऐसा पथकर प्लाजा किसी स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग या एक्सप्रेस-वे के लिए फीस संग्रह करने के लिए पथकर का अपवंचन रोकने के निमित्त हो।
9–रियायतें	**9–रियायतें**
(1) यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, उपनियम(2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी पथकर प्लाजा को पार करने के लिए अनेक यात्राओं के लिए अनुरोध किये जाने पर पास जारी करेगा ।	(1) यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी, उपनियम(2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी पथकर प्लाजा को पार करने के लिए अनेक यात्राओं के लिए अनुरोध किये जाने पर पास जारी करेगा।
(2) रियायतग्राही किसी व्यक्ति के अनुरोध पर	(2) रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी किसी व्यक्ति के

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सम्बन्धित वाहन हेतु संदेय फीस के 160 प्रतिशत (एक सौ साठ प्रतिशत मात्र) की धनराशि के भुगतान पर उसी दिन वापसी पास जारी करेगा, यदि एक्सप्रेस-वे पर एक मात्र एक तरफ की यात्रा करनी हो।	अनुरोध पर सम्बन्धित वाहन हेतु संदेय फीस के 160 प्रतिशत (एक सौ साठ प्रतिशत मात्र) की धनराशि के भुगतान पर उसी दिन वापसी पास जारी करेगा, यदि एक्सप्रेस-वे पर एक मात्र एक तरफ की यात्रा करनी हो।
(3) रियायतग्राही 20(बीस) या उससे अधिक एक तरफ के पथकर टिकटों के निर्गमन हेतु किसी व्यक्ति के अनुरोध पर सम्बन्धित विशिष्ट रजिस्ट्रीकृत वाहन हेतु संदेय 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत) फीस के रियायती दर पर ऐसे टिकट जारी करेगा। ऐसे रियायती टिकटों का प्रयोग विनिर्दिष्ट वाहन द्वारा किसी तरफ की एक यात्रा के लिए किसी एक कलेण्डर माह या उसके किसी भाग के लिए किया जाएगा।	(3) रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी 20(बीस) या उससे अधिक एक तरफ के पथकर टिकटों के निर्गमन हेतु किसी व्यक्ति के अनुरोध पर सम्बन्धित विशिष्ट रजिस्ट्रीकृत वाहन हेतु संदेय 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत) फीस के रियायती दर पर ऐसे टिकट जारी करेगा। ऐसे रियायती टिकटों का प्रयोग विनिर्दिष्ट वाहन द्वारा किसी तरफ की एक यात्रा के लिए किसी एक कलेण्डर माह या उसके किसी भाग के लिए किया जाएगा।
(4) ऐसे किसी यांत्रिक वाहन के वाहन चालक, वाहन स्वामी या प्रभारी, जो एक्सप्रेस-वे के किसी भाग का प्रयोग करता हो और किसी पथकर प्लाजा को पार नहीं करता है, को न तो कोई पथकर पास जारी किया जायेगा और न उनसे कोई फीस वसूल की जायेगी।	(4) ऐसे किसी यांत्रिक वाहन के वाहन चालक, वाहन स्वामी या प्रभारी, जो एक्सप्रेस-वे के किसी भाग का प्रयोग करता हो और किसी पथकर प्लाजा को पार नहीं करता है, को न तो कोई पथकर पास जारी किया जायेगा और न उनसे कोई फीस वसूल की जायेगी।
10–अतिभराई के लिए फीस की दर	**10–अतिभराई के लिए फीस की दर**
(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा यांत्रिक यान जो नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उसके प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार से लदा है, ऐसी दर पर फीस संदाय करने के लिये दायी होगी जो अगली उच्चतर श्रेणी के यांत्रिक यान के लिए लागू है:	(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा यांत्रिक यान जो नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उसके प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार से लदा है, ऐसी दर पर फीस संदाय करने के लिये दायी होगी जो अगली उच्चतर श्रेणी के यांत्रिक यान के लिए लागू है:
परन्तु यह कि अतिभराई के लिए ऐसी फीस का संदाय यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भार साधक व्यक्ति को उस एक्सप्रेस-वे का उपयोग करने के लिए हकदार नहीं बनायेगा और उसका यान उस यात्रिक यान से अधिक भार हटाये जाने तक एक्सप्रेस-वे का उपयोग करने या पथकर पास करने से रोका जायेगा।	परन्तु यह कि अतिभराई के लिए ऐसी फीस का संदाय यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भार साधक व्यक्ति को उस एक्सप्रेस-वे का उपयोग करने के लिए हकदार नही बनायेगा और उसका यान उस यांत्रिक यान से अधिक भार हटाये जाने तक एक्सप्रेस-वे का उपयोग करने या पथकर पास करने से रोका जायेगा।
(2) पथकर प्लाजा पर संस्थापित तुला चौकी पर यथा अभिलिखित यांत्रिक यान का भार इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए फीस उद्ग्रहण किये जाने का आधार होगा :	(2) पथकर प्लाजा पर संस्थापित तुला चौकी पर यथा अभिलिखित यांत्रिक यान का भार इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए फीस उद्ग्रहण किये जाने का आधार होगा :
परन्तु जहॉ प्लाजा पर कोई तुला चौकी संस्थापित नहीं की गई है, वहॉ इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी और यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति केवल ऐसे यान के लिए लागू फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा।	परन्तु जहॉ प्लाजा पर कोई तुला चौकी संस्थापित नही की गई है, वहॉ इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी और यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति केवल ऐसे यान के लिए लागू फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11–फीस के संदाय से छूट	**11–फीस के संदाय से छूट**
ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी–	(1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी :–
(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे है:–	(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे है:–
(एक) भारत के राष्ट्रपति;	(एक) भारत के राष्ट्रपति;
(दो) भारत के उप राष्ट्रपति;	(दो) भारत के उप राष्ट्रपति;
(तीन) भारत के प्रधानमंत्री;	(तीन) भारत के प्रधानमंत्री;
(चार) भारत के मुख्य न्यायमूति;	(चार) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति;
(पांच) राज्यपाल;	(पांच) राज्यपाल;
(छः) उप राज्यपाल;	(छः) उप राज्यपाल;
(सात) मुख्यमंत्री;	(सात) मुख्यमंत्री;
(आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी;	(आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी;
(नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के अधिकारिता से युक्त विरोधी दल के नेता;	(नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के अधिकारिता से युक्त विरोधी दल के नेता;
(दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;	(दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
(ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति;	(ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति;
(बारह) राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष;	(बारह) राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष;
(तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;	(तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;
(चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;	(चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;
(पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री;	(पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री;
(सोलह) उ0प्र0 सरकार के मंत्री;	(सोलह) उ0प्र0 सरकार के मंत्री;
(सत्रह) उ0प्र0 सरकार के सचिव और आयुक्त;	(सत्रह) उ0प्र0 सरकार के सचिव और आयुक्त;
(अठ्ठारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;	(अठ्ठारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
(उन्नीस) सी0डी0 प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान;	(उन्नीस) सी0डी0 प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान;
(बीस) समस्त सरकारी वाहन।	(बीस) समस्त सरकारी वाहन।
(ख) यान, जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं, के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जा रहे हों :–	(ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यानः–
(एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वे भी सम्मिलित है, जो छूट के पात्र हो;	(एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वो भी सम्मिलित जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं, के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल;	(दो) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल;
(तीन) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट;	(तीन) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट;
(चार) ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेस-वे का प्रयोग अपेक्षित है ;	(चार) ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेस-वे का प्रयोग अपेक्षित है;
(पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन;	(पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन;
(छः) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, के अधिकारी और;	(छः) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, के अधिकारी और;
(ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान।	(ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान।
12–सूचना प्रदर्शित करना	**12–सूचना प्रदर्शित करना**
(1) यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही यांत्रिक वाहनों से प्रभारित की जाने वाली फीस धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना को ऐसे क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम एक–एक अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगा।	(1) यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी यांत्रिक वाहनों से प्रभारित की जाने वाली फीस धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना को ऐसे क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम एक–एक अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगा।
(2) रियायतग्राही पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर पहले स्पष्ट रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में पांच सौ मीटर पूर्व अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगाः–	(2) रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर पहले स्पष्ट रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में पांच सौ मीटर पूर्व अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगाः–
एक–नियम 9 के अधीन प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए संदेय फीस की धनराशि तथा उपलब्ध रियायत;	एक–नियम 9 के अधीन प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए संदेय फीस की धनराशि तथा उपलब्ध रियायत;
दो–उन श्रेणियों के वाहन जो फीस के संदाय से छूट प्राप्त हैं तथा ;	दो–उन श्रेणियों के वाहन जो फीस के संदाय से छूट प्राप्त हैं तथा;
तीन–रियायतग्राही का नाम पता तथा दूरभाष या सम्पर्क संख्या।	तीन–निष्पादन प्राधिकारी एवं रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी का नाम पता तथा दूरभाष या सम्पर्क संख्या।
(3) सूचना पट्टों की ऊँचाई उनकी गुणवत्ता तथा अक्षरों का आकार प्रयोक्ताओं को स्पष्ट रूप से दृष्टव्य या सुपाठ्य हो।	(3) सूचना पट्टों की ऊँचाई उनकी गुणवत्ता तथा अक्षरों का आकार प्रयोक्ताओं को स्पष्ट रूप से दृष्टव्य या सुपाठ्य हो।
13–अनाधिकृत वसूली	**13–अनाधिकृत वसूली**
(1) यथास्थिति राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा अधिक वसूल की गयी फीस (यदि कोई हो) का निर्धारण कर सकता है और ऐसे प्राधिकरण या रियायतग्राही से अधिक वसूल की गई फीस की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के साथ उक्त की वसूली करेगाः	(1) यथास्थिति राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा अधिक वसूल की गयी फीस (यदि कोई हो) का निर्धारण कर सकता है और ऐसे प्राधिकरण या रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी से अधिक वसूल की गई फीस को पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के साथ वसूली करेगाः
परन्तु इस प्रकार अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये।	परन्तु इस प्रकार अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये।
(2) फीस की अनाधिकृत वसूली से क्षुब्ध किसी यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी अथवा प्रभारी इस निमित्त यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को शिकायत दर्ज	(2) फीस की अनाधिकृत वसूली से क्षुब्ध किसी यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी अथवा प्रभारी इस निमित्त यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को शिकायत दर्ज

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
कर सकता है। जो पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त अधिक भुगतान की वापसी तथा ऐसे उपयोगकर्ता को हुई असुविधा की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तीन दिन के अन्दर आदेश निर्गत करेगा।	कर सकता है। जो पक्षकारो की सुनवाई के उपरान्त अधिक भुगतान की वापसी तथा ऐसे उपयोगकर्ता को हुई असुविधा की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तीस दिन के अन्दर आदेश निर्गत करेगा।
14–फीस भुगतान की विफलता	**14–फीस भुगतान की विफलता**
(1)यदि किसी यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी अथवा प्रभारी एक्सप्रेसवेज या उसके किसी भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने हेतु फीस का भुगतान नहीं करता है या भुगतान करने से मना करता है तो उसके वाहनों को एक्सप्रेस-वे के ऐसे भाग, स्थायी सेतु इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और यदि इस प्रकार के वाहन के मार्ग में अड़े रहने से यातायात बाधित हो रहा हो तो ऐसे वाहनों को एक्सप्रेस-वे से जबरन हटाया जा सकता है ।	(1) यदि किसी यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी अथवा प्रभारी एक्सप्रेस-वेज या उसके किसी भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने हेतु फीस का भुगतान नही करता है या भुगतान करने से मना करता है तो उसके वाहनों को ऐक्सप्रेस-वे के ऐसे भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और यदि इस प्रकार के वाहन के मार्ग में अड़े रहने से यातायात बाधित हो रहा हो तो ऐसे वाहनों को रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा एक्सप्रेस-वे, सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग आदि से जबरन हटाया जा सकता है।
(2) जहॉ किसी यांत्रिक वाहन का चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का भुगतान करने से मना करता है अथवा उसमें असफल रहता है तो उसकी वसूली यांत्रिक वाहन के पंजीकृत स्वामी से की जायेगी ।	(2) जहॉ किसी यांत्रिक वाहन का चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का भुगतान करने से मना करता है अथवा उसमें असफल रहता है तो उसकी वसूली यांत्रिक वाहन के पंजीकृत स्वामी से की जायेगी।
(3) यथास्थिति जहॉ राज्य सरकार, निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही को यह विश्वास करने का कारण हो कि यांत्रिक वाहन एक्सप्रेस-वे के किसी भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग पर/में देय फीस का भुगतान किये बिना चलाया जा रहा है, वहां वह ऐसे वाहनों को भुगतान के सत्यापन के प्रयोजन हेतु रोक सकता है और ऐसे वाहनों से निर्धारित फीस का पचास प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के साथ देय फीस वसूल कर सकता है।	(3) यथास्थिति जहॉ राज्य सरकार, निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी को यह विश्वास करने का कारण हो कि यांत्रिक वाहन एक्सप्रेस-वे के किसी भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग पर/में देय फीस का भुगतान किये बिना चलाया जा रहा है, वहां वह ऐसे वाहनों को भुगतान के सत्यापन के प्रयोजन हेतु रोक सकता है और ऐसे वाहनों से निर्धारित फीस का पचास प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के साथ देय फीस वसूल कर सकता है।
15–अभिलेखों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार की शक्ति	**15–अभिलेखों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार की शक्ति**
यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को फीस वसूली को सत्यापित करने और यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही के किसी दस्तावेज, अभिलेख, अन्य सूचना, रसीदों या रिपोर्टों के निरीक्षण करने की शक्ति होगी।	यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को फीस वसूली को सत्यापित करने और यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही/प्राधिकृत ऐजेन्सी के किसी दस्तावेज, अभिलेख, अन्य सूचना, रसीदों या रिपोर्टों के निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16–निजी निवेश परियोजनाओं के सम्बन्ध में फीस की वसूली (1) नियम 3 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत फीस, करार प्रवृत्त हो जाने पर रियायतग्राही द्वारा वसूल की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जायेगा।	**16–निजी निवेश परियोजनाओं के सम्बन्ध में फीस की वसूली** (1) नियम 3 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत फीस, करार प्रवृत होने तक रियायतग्राही द्वारा वसूल की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जायेगा।
(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट करार की समाप्ति पर या समाप्ति के दिन से यथास्थिति राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत फीस की वसूली की जायेगी ।	(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट करार की समाप्ति पर या समाप्ति के दिन से यथास्थिति राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत फीस की वसूली की जायेगी ।
	17–सार्वजनिक निवेश परियोजनाओं के सम्बन्ध में फीस की वसूली (1) नियम 3 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत फीस "इंजिनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन" या किसी अन्य पद्धति पर आधारित परियोजनाओं की दशा में करार प्रवृत्त होने तक प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा करार के अनुसार वसूल की जाएगी तथा उसे विनियोजित किया जायेगा। (2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट करार की समाप्ति पर या समाप्ति के दिनांक से, यथास्थिति, राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत फीस की वसूली की जायेगी।
18–अतिरिक्त शुल्कद्वार (बैरियर) लगाने पर प्रतिबन्ध पथकर प्लाजा से भिन्न किसी स्थान पर कोई शुल्क द्वार (वैरियर) नहीं लगाया जाएगा, किन्तु आपवादिक मामलों में राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि फीस का अपवंचन हो रहा है, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि वह अधिरोपित करे, अतिरिक्त शुल्क द्वारा (वैरियर) लगाने की अनुमति दे सकता है। यथास्थिति राज्य सरकार, निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही (कन्सेशनायर) द्वारा फीस का अपवंचन रोकने हेतु ऐसे शुल्क द्वार (वैरियर) का प्रतिस्थापन पथकर प्लाजा से 10 कि.मी. के भीतर किया जाएगा अथवा किया जा सकता है। किन्तु यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण, किसी भी समय लिखित रूप से कारण बताते हुये ऐसी अनुज्ञा को वापस ले सकता है : परन्तु अग्रतर यह कि जहाँ यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण रियायतग्राही को अतिरिक्त शुल्कद्वार (बैरियर) स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों को ऐसे रियायतग्राही को 15 दिन के भीतर ससूचित किया जायेगा।	**18–अतिरिक्त बैरियर लगाने पर प्रतिबन्ध** पथकर प्लाजा से भिन्न किसी स्थान पर कोई वैरियर नहीं लगाया जाएगा, किन्तु आपवादिक मामलों में राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि फीस का अपवंचन हो रहा है, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि वह अधिरोपित करे, अतिरिक्त वैरियर लगाने की अनुमति दे सकता है। यथास्थिति राज्य सरकार, निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही (कन्सेशनायर)/प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा फीस का अपवंचन रोकने हेतु स्थापित ऐसे वैरियर पथकर प्लाजा से 10 कि.मी. के भीतर ही होने चाहिए। किन्तु यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण, किसी भी समय लिखित रूप से कारण बताते हुये ऐसी अनुज्ञा को वापस ले सकता है : परन्तु अग्रतर यह कि यदि यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी को अतिरिक्त बैरियर स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, तो ऐसी अस्वीकृति के कारणों को रियायतग्राही/ प्राधिकृत ऐजेन्सी को 15 दिन के भीतर संसूचित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2747/LXXVII-3-17-37M-12 for general information:

No.2747/LXXVII-3-17-37M-12

Dated Lucknow, December 15, 2017

IN exercise of the powers under section 2 *read* with section 9 of the INDIAN Toll Act, 1851 (Act no.8 of 1851) as amended in its application to Uttar Pradesh and all other power enabling him, in this behalf the Governor is pleased to modify "The Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and fixing of Fees and Realisation thereof) Rules, 2010" with a view to regulating the fees to be charged and the toll levied or and realised from all persons, incharge of vehicles, using the expressway and all bridges including interchanges and flyovers, railway over bridges and under bridges, bypass line of expressway constructed on Public Private Partnership/Engineering Procurement and Construction/Any other mode under the control of the State Government or any other authorities by notification authorised by it or concessionaire/agency authorised under provisions of concession agreement/agreement in this behalf.

In the Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and Fixing of Fees and Realisation thereof) Rules, 2010 for the Rules 1 to 18 setout in Column-I below the rules as setout in Column-II shall be *substituted*; namely:-

THE UTTAR PRADESH EXPRESSWAY (LEVY OF TOLLS AND FIXING OF FEES AND REALISATION THEREOF) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2017.

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
1. Short title and commencement	**1. Short title and commencement**
1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and fixing of Fees and realisation thereof) Rules, 2010.	1.(1) These modified rules may be called The Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and fixing of Fees and realisation thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force at once.	(2) They shall come into force from the date of publication thereof in the *Gazette*.
2. Definition	**2. Definition**
(1) In these rules, unless the context otherwise requires:–	(1) In these rules, unless the context otherwise requires:–
(a) "Act" means the Indian Toll Act 1851;	(a) "Act" means the Indian Toll Act 1851;
(b) "Base Year" means the period commencing on the 1st day of April, 2009 and ending with 31st day of March 2010;	(b) "Authorised Agency" means a person who has entered into an agreement with the Uttar Pradesh Government/Executing Authority notified by the State Government for collection of Toll;
(c) "Bypass" means a section of the express-way bypassing a town or city;	(c) "Toll Agreement" means an agreement entered into between the Uttar Pradesh Government/ Executing Authority notified by the State Government and any person or persons for collection of toll;
(d) "Bridge" means a structure having a length of exceeding 6 metres between the inner faces of the dirt walls for carrying traffic or other moving loads over a depression or obstruction such as channel, road or railway;	(d) "Base year" means the period commencing on the 1st day of April, 2009 and ending with 31st day of March, 2010;
(e) "Car" or "Jeep" or "Van" or "light motor vehicle" means any mechanical vehicle the gross vehicle weight of which does not exceed	(e) "Bypass" means a section of the expressway bypassing a town or city;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
seven thousand five hundred kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988 does not exceed twelve excluding the driver;	
(f) "Concession Agreement" means an agreement entered into between the Uttar Pradesh Government/authority notified by the State Government and any person or persons for construction, operation or maintenance of infrastructure;	(f) ''Bridge" means a structure having a length of exceeding 6 metres between the inner faces of the dirt walls for carrying traffic or other moving loads over a depression or obstruction such as channel, road or railway;
(g) "Concessionaire" means a person who has entered into a concession agreement with the Uttar Pradesh Government/authority notified by the State Government;	(g) "Car" or "Jeep" or "Van" or "light motor vehicle" means any mechanical vehicle the gross vehicle weight of which does not exceed seven thousand five hundred kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988 does not exceed twelve excluding the driver;
(h) "Executing Authority" means an officer or authority notified by the State Government;	(h) "Concession Agreement" means an agreement entered into between the Uttar Pradesh Government/authority notified by the State Government and any person or persons for construction, operation or maintenance of infrastructure;
(i) "Expressway" means a highway having a divided carriageway suitable for high speed traffic and with control of access which is constructed, operated or maintained under a concession agreement;	(i) "Concessionaire" means a person who has entered into a concession agreement with the Uttar Pradesh Government/authority notified by the State Government;
(j) "Elevated Highway" means any section of Expressway raised above ground level through support of piers or columns;	(j) "Executing Authority" means an officer or authority notified by the State Government for implementing the Expressway Project;
(k) "Financial Year" means the period of twelve calendar months commencing on the 1st day of April of a year and ending with 31st day of March of the succeeding year;	(k) "Expressway" means a highway having a divided carriageway suitable for high speed traffic and with control of access which is constructed, operated or maintained under a concession agreement/agreement;
(l) "Gross Vehicle Weight" in respect of any means the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act. No. 59 of 1988);	(l) "Elevated Highway" means any section of Expressway raised above ground level through support of piers or columns;
(m) "Heavy Construction Machinery" or "Earth moving equipment" or "multi axle vehicle" or heavy truck means heavy construction machinery or earth moving equipment or mechanical vehicle including a multi axle vehicle with three to six axles or vehicle with a gross vehicle weight exceeding twenty thousand kilogram but less than sixty thousand kilogram; and	(m) "Financial Year" means the period of twelve calendar months commencing on the 1st day of April of a year and ending with 31st day of March of the succeeding year;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
(n) "Interchange" means a grade separated intersection with connecting roadways;	(n) "Gross Vehicle Weight" in respect of any means the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988);
(o) "Lane" means a lane forming part of the main carriageway and having a minimum width of three meters and fifty centimeters;	(o) "Heavy Construction Machinery" or earth moving equipment" or "multi axle vehicle" or heavy truck means heavy construction machinery or earth moving equipment or mechanical vehicle including a multi axle vehicle with three to six axles or vehicle with a gross vehicle weight exceeding twenty thousand kilogram but less than sixty thousand kilogram;
(p) "Light Commercial Vehicle" or "light goods vehicle" or "mini bus" means any mechanical vehicles with a gross vehicle weight exceeding seven thousand five hundred kilogram but less than twelve thousand kilogram to the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act 1988, exceeds twelve but does not exceed thirty two excluding the driver;	(p) "Interchange" means a grade separated intersection with connecting roadways;
(q) "Mechanical vehicle" means any vehicle driven under its own power including a motor vehicle as defined ender the Motor Vehicle Act,1988;	(q) "Lane" means a lane forming part of the main carriageway and having a minimum width of three meters and fifty centimeters;
(r) "Oversized vehicle" means any goods carrier with seven or more axles or vehicle with a gross weight exceeding sixty thousand kilograms;	(r) Light Commercial Vehicle" or "light goods vehicle" or "mini bus" means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding seven thousand five hundred kilogram but less than twelve thousand kilogram to the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act 1988, exceeds twelve but does not exceed thirty two excluding the driver;
(s) "Public private partnership project" means a project relating to section of expressway, including all permanent bridges, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel lying on it for which an agreement is entered into with a concessionaire;	(s) "Mechanical Vehicle" means any vehicle driven under its own power including a motor vehicle as defined under the Motor Vehicle Act,1988;
(t) "Railway over/under bridge" (ROB/RUB) means and includes a road over bridge/underbridge that crosses above/under a railway track and which is constructed, operated or maintained under a concession agreement;	(t) "Oversized Vehicle" means any goods carrier with seven or more axles or vehicle with a gross weight exceeding sixty thousand kilograms;

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
(u) "Service Road" means a road running parallel to a section of the expressway which provides access to the land adjoining such section of the expressway;	(u) "Public Private Partnership Project" means a project relating to section of expressway, including all permanent bridges, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel lying on it for which an agreement is entered into with a concessionaire;
(v) "Toll or Fee" means the toll levied per kilometre or permetre, as the case may be, payable by the user of a project highway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB or road overbridge/underbridge, bypass or tunnel under these Rules;	(v) "Engineering Procurement and Construction Project" means a project relating to section of expressway, including all permanent bridges, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel lying on it for which an agreement is entered into with a Contractor;
(w) "Toll Plaza" means any building, structure or booth made for collection of fee;	(w) "Railway over/under bridge" (ROB/RUB) means and includes a road over bridge/underbridge that crosses above/under a railway track and which is constructed, operated or maintained under a concession agreement;
(x) "Truck" or "Bus" means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding twelve thousand kilogram but less than twenty thousand kilogram or the registered passenger carrying as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988, exceeds thirty two excluding the driver;	(x) "Service Road" means a road running parallel to a section of the expressway which provides access to the land adjoining such section of the expressway;
(y) Wholesale Price Index (WPI) means the Wholesale Price Index as published by the Ministry of Industry, Government of India or any Index published in substitution thereof by the Government of India.	(y) "Toll or Fee" means the toll levied per kilometre or permetre, as the case may be, payable by the user of a project highway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB or road overbridge/underbridge, bypass or tunnel under these Rules;
	(z) "Toll Plaza" means any building, structure or booth made for collection of fee;
	(aa) "Truck" or "Bus" means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding twelve thousand kilogram but less than twenty thousand kilogram or the registered passenger carrying as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988 exceeds thirty two excluding the driver;
	(bb) Wholesale Price Index (WPI) means the Wholesale Price Index as published by the Ministry of Industry, Government of India or any Index published in substitution thereof by the Government of India.
3. Levy of Fee	**3. Levy of Fee**
(1) The State Government may, by notification, levy fee for use of any section of expressway, for express evacuation for travelers permanent bridge,	(1) The State Government may, by notification, levy fee for use of any section of expressway, for express evacuation for travelers permanent

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel forming part of the expressway, as the case may be, in accordance with the provision of these rules;	bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel forming part of the expressway, as the case may be, in accordance with the provision of these rules;
(2) In the case of private investment project, the collection of fee levied under sub-rule (1) shall be made during the concession period in accordance with the terms of the agreement entered into by the Concessionaire and shall commence from the date of completion of the Expressway. No pedestrian or non-motorized vehicle or unregistered vehicle is allowed to use any section of the expressway permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be :	(2) In the case of private/public investment project, the collection of fee levied under sub-rule (1) shall be made during the concession/toll agreement period in accordance with the terms of the agreement entered into by the Concessionaire/Authorised Agency and shall commence from the date of completion of the Expressway/or from an agreed date. No pedestrian or non-motorized vehicle or unregistered vehicle is allowed to use any section of the expressway permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be:
Provided that in an emergency situation such as breakdown of running vehicle, the occupant of the vehicle shall be allowed to use expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB bypass or tunnel;	Provided that in an emergency situation such as breakdown of running vehicle, the occupant of the vehicle shall be allowed to use expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB bypass or tunnel;
(3) No fee shall be levied for the use of the section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, from vehicles plying on service roads only :	(3) No fee shall be levied for the use of the section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, from vehicles plying on service roads only :
Provided further that irrespective of availability of service road, the owner, driver or the person in charge of a two wheeler, three wheeler and legally registered tractor is making use of the section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, he or she shall be charged fifty per cent of the fee levied on a car;	Provided further that irrespective of availability of service road, the owner, driver or the person in charge of a two wheeler, three wheeler and legally registered tractor is making use of the section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, he or she shall be charged fifty per cent of the fee levied on a car;
(4) The fee notified by the State Government under these rules shall the rounded off and levied in multiple of the nearest Rupees five.	(4) The fee notified by the State Government under these rules shall the rounded off and levied in multiple of the nearest Rupees five.
4. Base Rate of Fee	**4. Base Rate of Fee**
(1) The rate of fee for use of a section of Expressway of six/eight lanes shall, for the base year 2009-10, be the product of length of such section multiplied by the following rates, namely:–	(1) The rate of fee for use of a section of Expressway of six/eight lanes shall, for the base year 2009-10, be the product of length of such section multiplied by the following rates, namely:–

COLUMN-I

Existing rules

Type of Vehicle	Base rate of fee per km (in Rupees) based on WPI of week ending on 3rd Jan. 2009 (WPI 229.20) for the year 2009-2010
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.80
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.30
Bus or Truck	2.75
Heavy Construction Machinery(HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	4.30
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	5.25

(2) The rate of fee for the use of structures interalia including permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel constructed with the completed cost exceeding Rupees ten crore shall, for the base year 2009-2010, be as follows:

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Over-sized Vehicle
10 to 15	5.00	7.50	15.00	22	30.00
For every additional five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

Type of Vehicle	Base rate of fee per km (in Rupees) based on WPI of week ending on 3rd Jan. 2009 (WPI 229.20) for the year 2009-2010
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.80
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.30
Bus or Truck	2.75
Heavy Construction Machinery(HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	4.30
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	5.25

(2) The rate of fee for the use of structures interalia including permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel constructed with the completed cost exceeding Rupees ten crore shall, for the base year 2009-2010, be as follows:

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Over-sized Vehicle
10 to 15	5.00	7.50	15.00	22	30.00
For every additional five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

COLUMN-I

Existing rules

For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3.00

Provided that while computing fee from commercial operation date, for the section of expressway on which structures interalia including a permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel costing Rupees fifty crore or more is situated, the length of such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel shall be excluded from the length of such section of expressway and fee shall be levied at the rates specified above for such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass and tunnel :

Provided further that where the cost of such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, is less than Rupees fifty crore, and the said permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, form part of the section of expressway, then instead of above rate of fee, the rate of fee specified under sub rule (1) of rule 4 shall be applicable for such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel.

Explanation: - for the purpose of this sub-rule:

the cost for private investment project, shall be the completion cost as assessed by the statutory auditor of the Concessionaire;

5. Annual revision of rate of fee :–

(1) The rates specified under rule 4 shall be increased each year with effect from the 1st day of April, 2010.

(2) The applicable rates shall be revised annually with effect from April 1 each year to reflect the increase in wholesale price index between the week ending on January 3, 2009 (i.e. 229.20) and the week ending on/or immediately after January 1 of the year in which such revision is undertaken but such revision shall be restricted to forty per cent of the increase in wholesale price index (rounded to nearest 5 paise).

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3.00

Provided that while computing fee from commercial operation date, for the section of expressway on which structures interalia including a permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel costing Rupees fifty crore or more is situated, the length of such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel shall be excluded from the length of such section of expressway and fee shall be levied at the rates specified above for such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass and tunnel:

Provided further that where the cost of such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, is less than Rupees fifty crore, and the said permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, form part of the section of expressway, then instead of above rate of fee, the rate of fee specified under sub-rule (1) of rule 4 shall be applicable for such permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel.

Explanation: - for the purpose of this sub-rule:

the cost for project, shall be the completion cost as assessed by the statutory auditor of the Concessionaire in case of PPP Projects and by the Executing Authority/or by its authorized person in case of EPC/any other mode of project.

5. Annual revision of rate of fee :–

(1) The rates specified under rule 4 shall be increased each year with effect from the 1st day of April, 2010.

(2) The applicable rates shall be revised annually with effect from April 1 each year to reflect the increase in wholesale price index between the week ending on January 3, 2009 (i.e. 229.20) and the week ending on/or immediately after January 1 of the year in which such revision is undertaken but such revision shall be restricted to forty per cent of the increase in wholesale price index (rounded to nearest 5 paise).

COLUMN-I

Existing rules

(3) The formula for determining the applicable rate of fee shall be as follows:

Applicable rate of fee = base rate + base rate

$$\times \left\{ \frac{\text{WPI A-WPI B}}{\text{WPI B}} \right\} \times 0.4$$

Explanation:

(a) applicable rate of fee shall be the revised rate payable by the user under rule 4 sub rule(1);

(b) base rate for Expressway for the year 2009-10 excluding the completed cost of structures interalia permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel shall be as :-

Type of Vehicle	Base rate of fee per km (in Rupees) based on WPI of week ending on 3rd Jan. 2009 (WPI 229.20) for the year 2009-2010
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.80
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.30
Bus or Truck	2.75
Heavy Construction Machinery(HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	4.30
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	5.25

(c) In case of structures interalia including permanent bridges, interchanges, flyovers, ROB/RUBs, bypass or tunnel where completion cost assessed by statutory auditor of the Concessionaire is Rs. 50 crores or more, the toll fee as per sub rule 4 (2) shall in addition to the above rates in sub rule 5(3)(b) or sub rule 4(1) also be revised.

(d) WPI A means the wholesale price index of the week ending on or subsequent to 1st January immediately preceding the date of revision under these rules; and

(e) WPI B means the wholesale price index of the week ending on 3rd January, 2009 i.e. 229.20.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

(3) The formula for determining the applicable rate of fee shall be as follows:

Applicable rate of fee = base rate + base rate

$$\times \left\{ \frac{\text{WPI A-WPI B}}{\text{WPI B}} \right\} \times 0.4$$

Explanation:

(a) applicable rate of fee shall be the revised rate payable by the user under sub- rule (1) of rule 4;

(b) base rate for Expressway for the year 2009-10 excluding the completed cost of structures interalia permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel shall be as :-

Type of Vehicle	Base rate of fee per km (in Rupees) based on WPI of week ending on 3rd Jan. 2009 (WPI 229.20) for the year 2009-2010
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.80
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.30
Bus or Truck	2.75
Heavy Construction Machinery(HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	4.30
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	5.25

(c) In case of structures interalia including permanent bridges, interchanges, flyovers, ROB/RUBs, bypass or tunnel where completion cost assessed by statutory auditor of the Concessionaire/ Executing Authority /or by its authorized person is Rs. 50 crores or more, the toll fee as per sub-rule (2) of rule 4 shall in addition to the above rates in sub rule 5(3) (b) or sub-rule 4(1) also be revised.

(d) WPI A means the wholesale price index of the week ending on or subsequent to 1st January immediately preceding the date of revision under these rules; and

(e) WPI B means the wholesale price index of the week ending on 3rd January, 2009 i.e. 229.20.

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
Illustration: If the revision of toll rates for an Expressway is to be made for the year 2010 -11 and 2011 -12 by applying the wholesale price index (say 240 in week ending on or subsequent to 02 Jan, 2010 and 260 in week ending on or subsequent to 01 Jan, 2011), then the rate for car, jeep or van will be as computed below: Applicable rate of fee for car, jeep or van per km: (i) For the year 2010 -11= 0.80 + 0.80 $\frac{(240 - 229.20)}{229.20}$ x 0.4 = 0.815 say Rs. 0.80 (ii) For the year 2011-12=0.80+0.80 $\frac{(260-229.20)}{229.20}$ x0.4= 0.843 say Rs.0.85 (4) Annual revision of rate of fee under these rules shall be effective from first of April every year.	Illustration: If the revision of toll rates for an Expressway is to be made for the year 2010 -11 and 2011 -12 by applying the wholesale price index (say 240 in week ending on or subsequent to January 2, 2010 and 260 in week ending on or subsequent to January 1, 2011), then the rate for car, jeep or van will be as computed below: Applicable rate of fee for car, jeep or van per km: (i) For the year 2010 -11= 0.80 + 0.80 $\frac{(240 - 229.20)}{229.20}$ x 0.4 = 0.815 say Rs. 0.80 (ii) For the year 2011-12=0.80+0.80 $\frac{(260-229.20)}{229.20}$ x0.4= 0.843 say Rs.0.85 (4) Annual revision of rate of fee under these rules shall be effective from first of April every year.
6. Collection of fee :– (1) Fee levied under these rules shall be collected by the concessionaire at the toll plaza.	**6. Collection of fee :–** (1) Fee levied under these rules shall be collected by the concessionaire/ authorized agency at the toll plaza.
(2) Every driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle shall for the use of the section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, before crossing the toll plaza, pay the fee specified under these rules.	(2) Every driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle shall for the use of the section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, before crossing the toll plaza, pay the fee specified under these rules.
(3) The fee collected under these rules shall be paid either in cash or through smart card or on board unit (transponder) or any other suitable device. Provided that additional charge as decided by concessionaire shall be realized for making the payment of fee by use of a smart card or on board unit (transponder) or any other suitable device.	(3) The fee collected under these rules shall be paid either in cash or through smart card or on board unit (transponder) or any other suitable device. Provided that additional charge as decided by concessionaire/authorized agency shall be realized for making the payment of fee by use of a smart card or on board unit (transponder) or any other suitable device.
(4) Any driver, owner or person Incharge of a mechanical vehicle who opts for the installation of on board unit (transponder/OBU) or any other suitable device for payment of fee, shall deposit a refundable security towards the cost of the equipment with the concessionaire for such installation and no interest shall accrue on such security deposit.	(4) Any driver, owner or person Incharge of a mechanical vehicle who opts for the installation of on board unit (transponder/OBU) or any other suitable device for payment of fee, shall deposit a refundable security towards the cost of the equipment with the concessionaire/ authorized agency for such installation and no interest shall accrue on such security deposit.
(5) The person receiving such fee under sub-rule (2) of rule 6, shall issue to the driver, owner person in charge of mechanical vehicle a receipt	(5) The person receiving such fee under sub-rule (2) of rule 6, shall issue to the driver, owner person in charge of mechanical vehicle a receipt specifying

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
specifying therein the date and time of such receipt of fee, total amount received, and the class of vehicle for which the fee has been received;	therein the date and time of such receipt of fee, total amount received, and the class of vehicle for which the fee has been received;
Provided that where the fee paid through smart card or on board unit (transponder) or any other suitable device, a receipt shall be issued on demand only. Any driver, owner or person Incharge of a mechanical vehicle not in possession of OBU or smart card but opts to use dedicated lanes meant for OBU/smart card may be required to pay additional fees equal to five times of the applicable fees to the concessionaire in addition to applicable fees.	Provided that where the fee paid through smart card or on board unit (transponder) or any other suitable device, a receipt shall be issued on demand only. Any driver, owner or person Incharge of a mechanical vehicle not in possession of OBU or smart card but opts to use dedicated lanes meant for OBU/smart card may be required to pay additional fees equal to five times of the applicable fees to the concessionaire/ authorized agency in addition to applicable fees.
7. Remittance and appropriation of fee :–	**7. Remittance and appropriation of fee :–**
(1) In case of private investment projects, the fee collected under the provision of these rules shall be appropriated by the concessionaire in accordance with the provision of and for the performance of its obligation under the agreement entered into by such concessionaire.	(1) In case of private/public investment projects, the fee collected under the provision of these rules shall be appropriated by the concessionaire/ authorized agency in accordance with the provision of and for the performance of its obligation under the agreement entered into by such concessionaire/ authorized agency
8. Location of the plaza :–	**8. Location of the plaza :–**
(1) Normally the executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall establish a toll plaza beyond a distance of ten kilometers from a municipal or local town area limits; but in exceptional cases where a section of the expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB /RUB, bypass or tunnel, as the case may be, is constructed within the municipal or town area limits or within five kilometers from such limits, primarily for use of the residents of such municipal or town area, the toll plaza may be established within the municipal or town area limits or within a distance of five kilometers from such limits.	(1)Normally the executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall establish a toll plaza beyond a distance of ten kilometers from a municipal or local town area limits; but in exceptional cases where a section of the expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB /RUB, bypass or tunnel, as the case may be, is constructed within the municipal or town area limits or within five kilometers from such limits, primarily for use of the residents of such municipal or town area, the toll plaza may be established within the municipal or town area limits or within a distance of five kilometers from such limits.
(2) Normally no other toll plaza on the same section of expressway and in the same direction shall not be established within distance of sixty kilometers; but in exceptional cases where the executing authority deems necessary, it may for reasons to be recorded in writing, establish or allow the concessionaire to establish another toll plaza within a distance of sixty kilometers:	(2) Normally no other toll plaza on the same section of expressway and in the same direction shall be established within distance of sixty kilometers; but in exceptional cases where the executing authority deems necessary, it may for reasons to be recorded in writing, establish or allow the concessionaire/authorized agency to establish another toll plaza within a distance of sixty kilometers:
Provided that toll plaza/plazas may be established within a distance of sixty kilometers from another toll plaza if such toll plaza is for	Provided that toll plaza/plazas may be established within a distance of sixty kilometers from another toll plaza if such toll plaza is for

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
collection of fee for a permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel or expressway to avoid leakage of toll.	collection of fee for a permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel or expressway to avoid leakage of toll.
9. Discounts :–	**9. Discounts :–**
(1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall upon request provide a pass for multiple journeys to cross a toll plaza within the specified period at the rates specified in sub-rule (2).	(1) The Concessionaire/ Authorised Agency, as the case may be, shall on request provide a pass for multiple journeys to cross a toll plaza within the specified period at the rates specified in sub-rule (2)
(2) The Concessionaire shall, upon request from any person, issue a return pass on payment of a sum equal to 160% (one hundred and sixty per cent) of the Fee payable for the respective vehicle if it were to undertake a single one-way trip on the Expressway. Such return pass shall entitle the specified vehicle to undertake a return journey on the same day as the outward journey.	(2) The Concessionaire/Authorized Agency shall, upon request from any person, issue a return pass on payment of a sum equal to 160% (one hundred and sixty per cent) of the fee payable for the respective vehicle if it were to undertake a single one-way trip on the Expressway. Such return pass shall entitle the specified vehicle to undertake a return journey on the same day as the outward journey.
(3) The Concessionaire shall, upon request from any person for issue of 20(twenty) or more one-way toll tickets, issue such tickets at a discounted rate equivalent to 80% (eighty per cent) of the Fee payable for the respective particular registered vehicle. Such discounted tickets shall entitle the specified vehicle to commute on the Expressway by using one ticket for a single one-way trip at any time during a period of one calendar month or part thereof.	(3) The Concessionaire/Authorized Agency shall, upon request from any person for issue of 20 (twenty) or more one-way toll tickets, issue such tickets at a discounted rate equivalent to 80% (eighty per cent) of the fee payable for the respective particular registered vehicle. Such discounted tickets shall entitle the specified vehicle to commute on the Expressway by using one ticket for a single one-way trip at any time during a period of one calendar month or part thereof.
(4) No pass shall be issued or fee collected from a driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle that uses part of the section of expressway and does not cross a toll plaza.	(4) No pass shall be issued or fee collected from a driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle that uses part of the section of expressway and does not cross a toll plaza.
10. Rate of fee for overloading :–	**10. Rate of fee for overloading :–**
(1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or a person Incharge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, a mechanical vehicle which is loaded in excess of the permissible load specified for its category under sub-rule (1) of rule 4, shall be liable to pay fee at such rate which is applicable for the next higher category of mechanical vehicles.	(1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or a person Incharge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, a mechanical vehicle which is loaded in excess of the permissible load specified for its category under sub-rule (1) of rule 4, shall be liable to pay fee at such rate which is applicable for the next higher category of mechanical vehicles.
Provided that the payment of such fee for overloading shall not entitle a driver or owner or a person Incharge of a mechanical vehicle to make use of such expressway and his or her vehicle shall be prevented from using the expressway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle.	Provided that the payment of such fee for overloading shall not entitle a driver or owner or a person Incharge of a mechanical vehicle to make use of such expressway and his or her vehicle shall be prevented from using the expressway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
(2) The weight of mechanical vehicle, as recorded at a weighbridge installed at the toll	(2) The weight of mechanical vehicle, as recorded at a weighbridge installed at the toll

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
plaza shall be the basis for levying the fee for overloading under this rule:	plaza shall be the basis for levying the fee for overloading under this rule:
Provided that where no weighbridge has been installed at the plaza, no fee for overloading shall be levied and collected under this rule and the driver, owner or person in charge of the mechanical vehicle shall be liable to pay fee applicable for such vehicle only.	Provided that where no weighbridge has been installed at the plaza, no fee for overloading shall be levied and collected under this rule and the driver, owner or person in charge of the mechanical vehicle shall be liable to pay fee applicable for such vehicle only.
11. Exemption from payment of fee :–	**11. Exemption from payment of fee :–**
(1) No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle:	(1) No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle:
(a) Transporting and accompanying:	(a) Transporting and accompanying:
i. the President of India;	i. the President of India;
ii. the Vice-President of India;	ii. the Vice-President of India;
iii. the Prime- Minister of India;	iii. the Prime- Minister of India;
iv. the Chief Justice of India;	iv. the Chief Justice of India;
v. the Governors;	v. the Governors;
yi. the Lieutenant Governors;	vi. the Lieutenant Governors;
vii. the Chief Ministers;	vii. the Chief Ministers;
viii. the Presiding Officers of Central and State Legislatures having jurisdiction;	viii. the Presiding Officers of Central and State Legislatures having jurisdiction;
ix. the Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and the State legislatures having jurisdiction;	ix. the Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and the State legislatures having jurisdiction;
x. the Judges of Supreme Court;	x. the Judges of Supreme Court;
xi. the Chairman of the Legislative Council of the State;	xi. the Chairman of the Legislative Council of the State;
xii. the Speaker of the Legislative Assembly of the State;	xii. the Speaker of the Legislative Assembly of the State;
xiii. the Chief Justice of high Court;	xiii. the Chief Justice of High Court;
xiv. the Judges of High Court;	xiv. the Judges of High Court;
xv. Ministers of Govt. of India	xv. Ministers of Govt. of India
xvi. Ministers of GoUP;	xvi. Ministers of GoUP;
xvii. Secretaries and Commissioners of GoUP	xvii. Secretaries and Commissioners of GoUP
xviii. Foreign dignitaries on State visit	xviii. Foreign dignitaries on State visit
xix. Heads of Foreign Missions stationed in India using cars with CD symbol	xix. Heads of Foreign Missions stationed in India using cars with CD symbol
xx. All Government vehicles	xx. All Government vehicles
(b) Vehicles used for official purposes by:-	(b) Vehicles used for official purposes by:-
i. the Ministry of Defence including those which are eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and rules made there under, as extended to Navy also;	i. the Ministry of Defence including those which are eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and rules made there under, as extended to Navy also;
ii. the Central and State armed forces in uniform including para military forces and police;	ii. the Central and State armed forces in uniform including para military forces and police;

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
iii. an executive Magistrate on duty;	iii. an executive Magistrate on duty;
iv. the persons required to use the Expressway for discharging their statutory obligations in relation to the Site;	iv. the persons required to use the Expressway for discharging their statutory obligations in relation to the Site;
v. a fire-fighting department or organization;	v. a fire-fighting department or organization;
vi. Officers of Concerned Expressway Authority; and	vi. Officers of Concerned Expressway Authority; and
(c) Vehicles used as ambulance.	(c) Vehicles used as ambulance.
12. Display of information :–	**12. Display of information :–**
(1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall publish a notice specifying the amount of fee to be charged from the mechanical vehicle, in at least one Newspaper, each in English and vernacular Language, having a wide circulation in such area.	(1) The executing authority or the concessionaire / Authorised Agency, as the case may be, shall publish a notice specifying the amount of fee to be charged from the mechanical vehicle, in at least one Newspaper, each in English and vernacular Language, having a wide circulation in such area.
(2) The Concessionaire shall prominently display in Hindi and English one thousand meters ahead of the toll plaza and in English and local language five hundred meters ahead of the toll plaza:	(2) The Concessionaire/ Authorized Agency shall prominently display in Hindi and English one thousand meters ahead of the toll plaza and in English and local language five hundred meters ahead of the toll plaza:
i. The amount of fee payable for each class of vehicles and the discounts available under rule 9;	i. the amount of fee payable for each class of vehicles and the discounts available under rule 9;
ii. The categories of vehicles exempted from payment of fee: and	ii. the categories of vehicles exempted from payment of fee; and
iii. The name, address and telephone or contact number of the concessionaire.	iii. the name, address and telephone or contact number of the Executing Authority and Concessionaire/ Authorized Agency.
(3) The height of the display boards, their quality and size of lettering shall be clearly visible and legible to the users.	(3) The height of the display boards, their quality and size of lettering shall be clearly visible and legible to the users.
13. Unauthorized collection :–	**13. Unauthorized collection :–**
(1) An officer authorized by the State Government or by the executing authority, as the case may be, may assess the excess fee collected, if any, by the executing authority or the concessionaire, as the case may be, and recover the same from such authority or concessionaire, along with an additional sum equal to twenty five percent of the excess fee collected :	(1) An officer authorized by the State Government or by the executing authority, as the case may be, may assess the excess fee collected, if any, by the Concessionaire/ Authorized Agency or the executing authority as the case may be, and recover the same from such authority or concessionaire/ Authorized Agency, along with an additional sum equal to twenty five percent of the excess fee collected:
Provided that no recovery of such excess fee shall be made unless an opportunity of hearing has been given to the executing authority or concessionaire, as the case may be.	Provided that no recovery of such excess fee shall be made unless an opportunity of hearing has been given to concessionaire/ Authorized Agency or the executing authority as the case may be.
(2) Any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle aggrieved by unauthorized collection of fee, may lodge a complaint with the officer authorized by the State Government or the executing authority, as the case may be, in	(2) Any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle aggrieved by unauthorized collection of fee, may lodge a complaint with the officer authorized by the State Government or the

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
this behalf, who shall after hearing the parties pass an order on such complaint for refund of excess payment and damages for the inconvenience suffered by such user within thirty days.	executing authority, as the case may be, in this behalf, who shall after hearing the parties pass an order on such complaint for refund of excess payment and damages for the inconvenience suffered by such user within thirty days.
14. Failure to pay fee :–	**14. Failure to pay fee :–**
(1) If any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle does not pay or refuses to pay the fee for use of expressway or part thereof, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, his or her vehicle shall not be allowed to use such section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel and in case such vehicle obstructs the normal flow of traffic, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, may get such obstructing vehicle removed from the expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be.	(1) If any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle does not pay or refuses to pay the fee for use of expressway or part thereof, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, his or her vehicle shall not be allowed to use such section of expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel and in case such vehicle obstructs the normal flow of traffic, the executing authority or the concessionaire/. Authorized Agency, as the case may be, may get such obstructing vehicle removed from the expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be.
(2) Where the driver or the person in charge of a mechanical vehicle refuses or fails to pay the fee levied under these rules, the same shall be recovered from the registered owner of the mechanical vehicle.	(2) Where the driver or the person in charge of a mechanical vehicle refuses or fails to pay the fee levied under these rules, the same shall be recovered from the registered owner of the mechanical vehicle.
(3) Where the State Government, executing authority or the concessionaire, as the case may be, has reason to believe that a mechanical vehicle is plying on a section of the expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel without payment of fee due, it may stop such vehicle for the purpose of verifying the payment thereof and collect the fee due along with an additional sum equal to fifty percent of fee from such vehicle.	(3) Where the State Government, executing authority or the concessionaire/ Authorized Agency as the case may be, has reason to believe that a mechanical vehicle is plying on a section of the expressway, permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel without payment of fee due, it may stop such vehicle for the purpose of verifying the payment thereof and collect the fee due along with an additional sum equal to fifty percent of fee from such vehicle.
15. Power of State Government to verify records :	**15. Power of State Government to verify records :**
An officer duly authorized by the State Government or the executing authority, as the case may be shall have the power to verify the collection of fee, and inspect any document, records, other information, receipts or reports of the executing authority or the concessionaire, as the case may be.	An officer duly authorized by the State Government or the executing authority, as the case may be shall have the power to verify the collection of fee, and inspect any document, records, other information, receipts or reports of the concessionaire/ Authorized Agency or the executing authority as the case may be.
16. Collection of fee in respect of Private Investment Project :–	**16. Collection of fee in respect of Private Investment Project :–**
(1) The fee levied under the provisions of sub-rule (2) of rule 3 shall be collected and retained by the concessionaire till its agreement is in force.	(1) The fee levied under the provisions of sub-rule (2) of rule 3 shall be collected and retained by the concessionaire till its agreement is in force.

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
(2) On and from the date of expiry of the agreement specified under sub-rule (2) of rule 3, the fee levied shall be collected by the State Government or the executing authority, as the case may be.	(2) On and from the date of expiry of the agreement specified under sub-rule (2) of rule 3, the fee levied shall be collected by the State Government or the executing authority, as the case may be.
17. Collection of fee in respect of Public Investment Project :—	**17. Collection of fee in respect of Public Investment Project :—**
	(1) The fee levied under the provisions of sub-rule (2) of rule 3 shall be collected and appropriated by the Authorized Agency as per the agreement in case of Projects on EPC or any other mode till its agreement is in force.
	(2) On and from the date of expiry of the agreement specified under sub-rule (2) of rule 3, the fee levied shall be collected by the State Government or the executing authority, as the case may be.
18. Bar for Installation of additional barrier :–	**18. Bar for Installation of additional barrier :–**
Normally no barrier shall be installed at any place, other than at the toll plaza, but in exceptional cases the State Government or the executing authority, after being satisfied that there is evasion of fee, may allow installation of additional barriers on such terms and conditions as it may impose. The installation of such barrier by the State Government, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall be within ten kilometers from the toll plaza, to check the evasion of fee:	Normally no barrier shall be installed at any place, other than at the toll plaza, but in exceptional cases the State Government or the executing authority, after being satisfied that there is evasion of fee, may allow installation of additional barriers on such terms and conditions as it may impose. The installation of such barrier by the State Government, the executing authority or the concessionaire/Authorized Agency, as the case may be, shall be within ten kilometers from the toll plaza, to check the evasion of fee:
Provided that the State Government or the executing authority, as the case may be, may, at any time, for reasons to be recorded in writing withdraw such permission:	Provided that the State Government or the executing authority, as the case may be, may, at any time, for reasons to be recorded in writing withdraw such permission:
Provided further that where the State Government or the executing authority, as the case may be, do not allow installation of an additional barrier by the concessionaire, the reasons for such refusal shall be communicated to such concessionaire within a fortnight.	Provided further that where the State Government or the executing authority, as the case may be, do not allow installation of an additional barrier by the concessionaire /Authorized Agency, the reasons for such refusal shall be communicated to such concessionaire / Authorized Agency within a fortnight.

By order,
ALOK SINHA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 731 राजपत्र–(हिन्दी)–2017–(2390)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 उद्योग–2017–(2391)–250 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।